राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 704वीं बैठक दिनांक 19/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No 9236/2022 Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village-Jaitwara, District- Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 6.761 ha. (32384 Tonne per annum) (Khasra No.839 (P)), Village - Karigohi, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का प्रकरण SEAC की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिहत सिया को प्रेषित किया गया था । सिया के 811वीं बैठक दिनांक 06/10/23 के माध्यम से उनरोक्त प्रकरण इस टिपणी के साथ पुर्नसमीक्षा हेतु वापिस किया गया "सेक की अनुशंसा अनुसार उक्त प्रकरण वॉयलेशन श्रेणी के अंतर्गत आता है ती। सेक द्वारा प्रकरण भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/07/2021 अनुसार परीक्षण नहीं किया गया है । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07//02/2021 के अनुसार वॉयलेशन के प्रकरणों में Polluter payd सिद्धांत आधारित SOP के परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक प्रेषित किया गया है" ।

प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समीक्षा के दौरान समिति के समक्ष निम्न बिन्दु रखे गये।

• खदान मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय—भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—03—40 / 96 / 12 / 2, दिनांक 02 / 09 / 03 के द्वारा स्वीकृत की गई थी। परियोजना

प्रस्तावक की मृत्यु के पश्चात खदान का पूरक अनुबंध दिनांक 21/10/2021 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल के नाम से किया गया।

- पूर्व में इस खदान से वर्ष 2006-07, 2007-08 में खनन कार्य किया गया था, तत्पश्चात् खदान से आज दिनांक तक उत्पादन नहीं लिया गया। वर्ष 2006-07, 2007-08 की अवधि में बिना ई.सी. एवं सीटीई के कार्य करने के कारण खनिज विभाग द्वारा गैर कानूनी माईनिंग का प्रकरण मानते हुये परियोजना प्रस्तावक पर रूपये 117198 का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया।
- खनिज अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30/06/2009 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को ई.सी. एवं आवश्यक सीटीई आदि हेतु लिखा गया था। चुिक खदान उत्पादनरत नहीं थी अतः खदान संचालकों द्वारा ई.सी नहीं ली गई।
- उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक को विधि का ज्ञान न होने के कारण उनसे इस प्रकार की चूक हुई है तथा संज्ञान होने पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ॲगमेन्टेशन / रेमिडीयेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। जिसकें अनुसार कुल रूपये 3,66085 का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

समस्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सिमिति द्वारा प्रकरण में MOEF & CC का नोटिफिकेशन दिनांक 08 मार्च 2018 एवं दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत करेन हेतु निर्देशित किया :-

- a. बिना पर्यावरण स्वीकृति के माईन संचालन करने के फल स्वरूप हुये इकोलॉजिकल डेमेज का आंकलन कर रेमेडिएशन प्लान एवं इसके इम्पिलमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें।
- b. इसी प्रकार Natural and community resources augmentation plan इसके इम्पिलमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें तथा
- c. इस वाईलेशन की अवधि में परियोजना संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ की गणना करें।

ADS (Query) - उपरोक्त a,b,c बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर बैंक गारन्टी एवं पेनाल्टी राशि का निर्धारण कर प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

2. <u>Case No 9234/2022 Shri Anubhav Agrawal, Lease Owner, R/o- AT & Post Village-Jaitwara, District- Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 7.025 ha. (26611 Tonne per annum) (Khasra No. 4/1 Ka), Village - Kathara Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया के 811वीं बैठक दिनांक 06/10/23 को ''सेक की अनुशंसा अनुसार उक्त प्रकरण वॉयलेशन श्रेणी के अंतर्गत आता है ती। सेक द्वारा प्रकरण भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/07/2021 अनुसार परीक्षण नहीं किया गया है । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07//02/2021 के अनुसार वॉयलेशन के प्रकरणों में Polluter payd सिद्धांत आधारित SOP के परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक प्रेषित किया गया है''।

प्रकरण आज दिनांक 19 / 12 / 2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। समीक्षा के दौरान समिति के समक्ष निम्न बिन्दु रखे गये।

• खदान मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय—भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—03—40 / 96 / 12 / 2, दिनांक 02 / 09 / 03 के द्वारा स्वीकृत की गई थी। परियोजना प्रस्तावक की मृत्यु के पश्चात खदान का पूरक अनुबंध दिनांक 21 / 10 / 2021 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुभव अग्रवाल के नाम से किया गया।

पूर्व में इस खदान से वर्ष 2006-07, 2007-08 में खनन कार्य किया गया था, तत्पश्चात् खदान से आज दिनांक तक उत्पादन नहीं लिया गया। वर्ष 2006-07, 2007-08 की अवधि में बिना ई.सी. एवं सीटीई के कार्य करने के कारण खनिज विभाग द्वारा गैर कानूनी माईनिंग का प्रकरण मानते हुये परियोजना प्रस्तावक पर रूपये 2,68,069/ का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया।

- खनिज अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 30/06/2009 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को ई.सी. एवं आवश्यक सीटीई आदि हेतु लिखा गया था। चुकि खदान उत्पादनरत नहीं थी अतः खदान संचालकों द्वारा ई.सी नहीं ली गई।
- उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक को विधि का ज्ञान न होने के कारण उनसे इस प्रकार की चूक हुई है तथा संज्ञान होने पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु कार्यवाही की गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ॲगमेन्टेशन / रेमिडीयेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है। जिसकें अनुसार कुल रूपये 3,66085 का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

समस्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् सिमिति द्वारा प्रकरण में MOEF & CC का नोटिफिकेशन दिनांक 08 मार्च 2018 एवं दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत करेन हेतु निर्देशित किया :-

- d. बिना पर्यावरण स्वीकृति के माईन संचालन करने के फल स्वरूप हुये इकोलॉजिकल डेमेज का आंकलन कर रेमेडिएशन प्लान एवं इसके इम्पलिमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें।
- e. इसी प्रकार Natural and community resources augmentation plan इसके इम्पलिमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें तथा
- f. इस वाईलेशन की अवधि में परियोजना संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ की गणना करें।

ADS (Query)- उपरोक्त a,b,c,d & f बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर बैंक गारन्टी एवं पेनाल्टी राशि का निर्धारण कर प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

3. Case No 10355/2023 Shri Yogendra Gautam, Owner, R/o 45/4, New Palasia, Jetpura, District-Indore (MP)-451010, Prior Environment Clearance for Jetpura Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 cum per year) (Khasra No. 160/1, 160/2), Village-Jetpura, Tehsil-Sawer, District-Indore (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 811वीं बैठक दिनांक 06/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश—देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के चारो ओर रहवासी कालोनियाँ परिलक्षित है तथा उक्त क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में भी होना परिलक्षित है । अतः पर्यावरणीय संवदेनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Yogendra Gautam, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण एवं समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात समिति निम्नलिखित विशेष शर्तो के साथ प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित करती है।

- 1. खदान क्षेत्र के निकट रहवासी क्षेत्र की ओर 50 मी. का सेटबेक देने के पश्चात खनन कार्य किया जा सकेगा।
- 2. रहवासी क्षेत्र की ओर की सीमा पर सघन वृक्षारोपण एवं विन्ड ब्रेकिंग वॉल निर्मित करने के पश्चात ही खनन कार्य किया जा सकेगा।

अन्य शर्ते पूर्व अनुशंसा अनुसार होगी।

4. Case No 10185/2023 Shri Rohit Yadav, Partner, M/s Shri Balaji Mines & Minerals, R/o 975, Akshay Russel Chowk, Napier Town, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Ghutiya Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.30 ha. (Stone-7250, M-Sand-16920 cum per year) (Khasra No. 93P), Village-Khursi, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 809वीं बैठक दिनांक 04/10/23 को अनुमोदित खनन् योजना के अनुसार गूगल इमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पहाड़ पर स्थित है तथा वन क्षेत्र आरएफ क्रमांक 173 से लगभग 05 मीटर दूरी है । उक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता व प्रस्तावित खदान वर्जिनी पहाड़ी पर होने के दृष्टिगत समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया है

प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण एवं समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात समिति निम्नलिखित विशेष शर्तो के साथ प्रकरण को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित करती है।

- 1. खदान क्षेत्र के निकट वन क्षेत्र की ओर 50 मी. का सेटबेक देने के पश्चात खनन कार्य किया जा सकेगा।
- 2. वन क्षेत्र की ओर की सीमा पर चैनलिंग फेन्सिंग एवं विन्ड ब्रेकिंग वॉल निर्मित करने के पश्चात ही खनन कार्य किया जा सकेगा।
- 3. फारेस्ट एनओसी की समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करते हुये ही खनन कार्य किया जा सकेगा।

अन्य शर्ते पूर्व अनुशंसा अनुसार होगी।

5. Case No 10080/2023 Shri ANIL CHATURMOHTA, Proprietor, Anil Chaturmohta Proprietorship of Arpan ferro Alloys S/o Indarchand Chaturmohta, Ward no. 11, Infront of FCI Kosmi, Balaghat District-Balaghat (MP), Prior Environment Clearance for Mohagaonghat Manganese Ore Mine in an area of 28.01 ha. (5741.77 cum per year) (Khasra No. 396), Village –Mohagaonghat, Tehsil- Waraseoni, District-Balaghat (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 815वीं बैठक दिनांक 01/11/23 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया किह यह प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है जबिक सेक की बैठक 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 के कार्यवाही के पृष्ट क्रमांक—64 एवं 65 पर क्षमता विस्तार का उल्लेख किया गया है, के आधार पर प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल चतुरमोहता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा दिनांक 03/08/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण किया गया एवं पाया गया कि यह क्षमता/क्षेत्र विस्तार का प्रकरण नहीं है, अतः उक्त टिप्पणी विलोपित की जाती है।

6. <u>Case No 10636/2023 Shri Tulka Sikarwar, Owner, R/o Ravidas Nagar, Chambal Colony ke Piche, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Fulonda Stone Quarry in an area of 1.889 ha. 11400 cum per year) (Khasra No. 354), Village-Falooda, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/23 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 817 वीं बैठक दिनांक 10/11/2023 मे सिया को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि इस प्रकरण के संबंध में एकल प्रमाण—पत्र जावक पत्र क0. 790 दिनांक26/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें (श्री चंद्रा यादव एरिया 2.0 हे. है, एंव श्री गजराज सिंह एरिया 1.0 हे.) स्वीकृत होना बताया गया है। प्रस्तावित खदान एंव 500 मी. की परिधि में संचालित 02 अन्य खदान जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्र्यावरण स्वीकृति जारी की गई है के रकबा को मिलाकर कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है जिस कारण प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEACको अग्रेषित किया जाये।

जिला खनिज अधिकारी, मुरैना से प्राप्त कर प्रस्तुत करें, इसके पश्चात ही प्रकरण में निर्णय लिया जा सकेगा।

नहीं है जबिक सेक की बैठक 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 के कार्यवाही के पृष्ठ क्रमांक—64 एवं 65 पर क्षमता विस्तार का उल्लेख किया गया है, के आधार पर प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है

प्रकरण आज दिनांक 19/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Tulka Sikarwar, Owner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण का परीक्षण किया गया । परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र के 500 मी. त्रिज्या में अन्य स्वीकृत खदानों की संख्या एवं इनका कुल रकबा के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला खनिज अधिकारी, मुरैना से प्राप्त कर प्रस्तुत करें, इसके पश्चात ही प्रकरण में निर्णय लिया जा सकेगा।

7. Case No 10712/2023 Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bijoriya-1 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (5850 cum per year) (Khasra No. 363), Village-Bijoriya, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, प्रबंधक, श्री सतीष नागले खनिज अधिकारी, जिला अलीराजपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. शशांक शेखर मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 19/12/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला अलीराजपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—55 के सरल कमांक—20 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान नाला पर ग्राम Bijoriya के निकट 1.50 हे. क्षेत्रफल पर 5,850 घनमीटर / वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

खनन क्षेत्र के निकट स्थित ब्रिज से सुरक्षित दूरी जिसे छोडकर रेत खनन किया जा सकता है के संबंध में म.प्र.ग्रामीण सडक विकास निगम द्वारा पत्र क्रमांक 1627 दिनांक 14/12/23 के माध्यम से अभिमत दिया गया है जिसके अनुसार ब्रिज से दोनो ओर 300 मी. की दूरी छोडकर खनन कार्य किया जा सकता है। इस प्रकरण में 500 मी. की दूरी छोडी गई है, अतः खनन कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—5,850 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.27 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 9000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, बिजोरिया के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी	9,000

 नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1500
2	ग्राम बिजोरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय

परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथिमकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

8. Case No 10714/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Accounts), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dehta Sand Quarry in an area of 4.970 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 100, 224), Village-Dehta, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 19/12/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—15 के सरल कमांक—13 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में सिमित के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान चंबल नदी पर ग्राम Dehta के निकट 4.970 हे. क्षेत्रफल पर 2500 घनमीटर / वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

खनन क्षेत्र में आने वाले ब्रिज से उपरी जलधारा में 700 मी. का सेटबेक तथा निचली जलधारा में स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र को ब्लॉक करने के पश्चात कुल 4.970 हे. मे से मात्र 0.5 हे क्षेत्र खनन योग्य बचता है। प्रकरण में प्रस्तावित खनन मात्रा 2500 घन मी. प्रतिवर्ष खनन योग्य क्षेत्र 0.5 हे. मे से प्राप्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2500 घनमीटर / वर्ष हेत् पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.88 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.35 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)

Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Dehta	6,000

2. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1980 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :--

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	980
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- 9. <u>Case No 10715/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Patauvapura Sand Mine in an area of 1.820 ha. (19656 cum per year) (Khasra No. 112), Village-Patauvpura, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉo.शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 19/12/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर

के पृष्ठ कमांक—53 के सरल कमांक—39 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान माचना नदी पर ग्राम Patauvapura के निकट 1.820 हे. क्षेत्रफल पर 19,656 घनमीटर / वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

जिले की डीएसआर के अनुसार इस क्षेत्र का माईनिंग पोटेन्शियल 19874 घन मी. प्रतिवर्ष है, तथा चाही गई क्षमता 19656 घन मी. प्रतिवर्ष है, अतः पर्यावरण स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—19,656 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.52 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.56 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्रआंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000/-

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1		खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	1160

2	ग्राम पतौवापुरा	के	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की	
	ग्रामवासियों में वितरण		प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की	
	हेतु		ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य	1000
			फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय	
			प्रजातिया।	

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- 10. Case No 10716/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Accounts), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amlawadkala Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 177), Village-Amlawad Kalan, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री मगन गोपाल श्री संजय सोलंकी, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 19/12/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—16 के सरल कमांक—15 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान चंबल नदी पर ग्राम Amlawadkala के निकट 05.00 हे. क्षेत्रफल पर 2,000 घनमीटर / वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील

पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

खनन क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लगभग 560 मी. दूर स्थित ब्रिज से उपरी जलधारा में 1 कि. मी. का सेटबेक देने के पश्चात एवं डूब क्षेत्र छोड़ने पर कुल 5.0 हे. मे से मात्र 0.5 हे क्षेत्र खनन योग्य बचता है। प्रकरण में प्रस्तावित खनन मात्रा 2000 घन मी. प्रतिवर्ष खनन योग्य क्षेत्र 0.5 हे. मे से प्राप्त किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.68 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.28 लाख प्रति वर्ष ।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6000 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि			राशि(रु. में)				
Books provided Amlawadkala	to Students	Library	of	Govt.	Middle	School,	6,000

4. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	400	
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	600	
√	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

(SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

11. Case No 10741/2023 Shri Dilip Arya, Lessee, R/o Hidli Bhimpur, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460330, Prior Environment Clearance for Adarsh Pipariya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (7840 cum per year) (Khasra No. 43/23, 43/1/K), Village Adarsh Pipariya, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (M.P.).

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक दिलिप आर्य एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri DILIP ARYA, Lessee, R/o- Hidli Bhimpur, Tehsil- Bhainsdehi,
परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	District- Betul (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल	43/23, 43/1/K (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 2.00 hectare.
(सरकारी / निजी)	43/1/K परियोजना प्रस्तावक स्वयं की है)
स्थल	Village Adarsh Pipariya , Tehsil- Bhainsdehi , District- Betul (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 960 दिनांक
	25 / 05 / 2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 21 दिनांक 07/05/2018 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर-7840 घनमीटर वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—7840 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—7840 घनमीटर / वर्ष
	है
500 मीटर की परिधि में	
अन्य खदानें	क्रमांक 1661 दिनांक 09/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
ST T SIGN	अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.00 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	, ,
अनापत्ति	कमांक 1661 दिनांक 09/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
SI 11 11(()	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	कमांक 1661 दिनांक 09/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
or in fixti	कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की
	परिधि में नहीं है । 500 मीटर की परिधि में दक्षिण दिशा की ओर स्वयं के
	उपयोग हेत् किए गए गड़ढे स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	9
पंचायत की अनापत्ति	15/08/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
विवादरा प्रति जनावाररा	कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
वृद्धा यम यसमान रिकास	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—28 के सरल क्रमांक—68
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस खदान के साथ—साथ परियोजना प्रस्तावक की एक अन्य खदान हेतु, कृशर लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है। परीक्षण में पाया गया कि खदान क्षेत्र के बेरियर जोन में भी खनन किया जा चुका है। खदान क्षेत्र में फेन्सिंग, गारलेण्ड ड्रेन तथा वृक्षारोपण का कार्य अपूर्ण है। परियोजना प्रस्तावक की अन्य खदान जो इस खदान से लगी हुई है, में भी इसी प्रकार के पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हुये। दोनों खदानों के बीच स्थित 15 मी. की स्ट्रीप में वृक्षारोपण नहीं देखा गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेत् निर्देशित किया है :—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. परियोजना प्रस्तावक ने भूमि खसरा नं. 43/24 के भू—स्वामी की सहमित पत्र परिवेश पोर्टल अपलोड किया है जबिक लीज खसरा नं. 43/1/क एवं 43/23 पर स्वीकृत है, अतः परियोजना प्रस्तावक लीज स्वीकृत खसरा नं. 43/1/क एवं 43/23 के भू—स्वामियों की सहमित पत्र प्रस्तुत करें।
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

12. <u>Case No 10742/2023 Shri Rajendra Deshmukh, Lessee, R/o Sarafa Market, Sant Vinova Ward-4, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)-460551, Prior Environment Clearance for Morandhana Stone Quarry in an area of 0.809 ha. (4750 cum per year) (Khasra No. 21), Village-Morandhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र देशमुख एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAJENDRA DESHMUKH, R/o-Sarafa Market Sant Vinova ward-4
परियोजना / कम्पनी	Amla, Tehsil- Amla, District- Betul (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	21 (old-14/1) (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 0.809 hectare.
(सरकारी / निजी)	भू—स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)
स्थल	Village Morandhana Tehsil Amla, District Betul (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 2324
	दिनांक 31 / 12 / 2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बैतूल के पत्र कमांक 24 दिनांक 17/05/2016 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—पत्थर—4,750 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम—475 घनमीटर / वर्ष हेतु
	पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट / डिया से सिया / क्षमता विस्तार ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—4,750 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	ग्या है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–4,750 घनमीटर / वर्ष
	है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक 1633 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
	अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.549 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है। 500 मीटर की परिधि में पूर्व की 06
	खदानों के गड्ढे है जिसमें से 04 नीलाम खदानें स्वीकृत रही है एवं 02 02
	उत्खनिपट्टा स्वीकृत रहे है, जिनकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1633 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	कमांक 1633 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ससाबड़ जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	10/02/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं हैं ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा–
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—21 के सरल क्रमांक—29
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। शर्तों का कम्प्लाइन्स अपूर्ण पाया गया। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms
- 13. Case No 10743/2023 Ms. Asha Mehta, Lessee, 40, Mahashweta Nagar, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for Undasa Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.311 ha. (Stone-74000, M-Sand-16000 cum per year) (Khasra No. 818/1, 819/1/2, 820/8, 820/2, 820/3, 820/8), Village-Undasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक आशा मेहता के सहयोगी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर (राजस्थान) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	ASHA MEHTA, Lessee, 40, Mahashweta Nagar, District – Ujjain (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं. / क्षेत्रफल	818/1, 819/1/2, 820/8, 820/2, 820/3 (निजी 3.311 hectare.
(सरकारी / निजी)	—नॉन फॉरेस्ट लेंड खसरा नं.820/8 अलावा अन्य खसरें परियोजना प्रस्तावक स्वयं के है)
स्थल	Village Undasa, Tehsil & District Ujjain , (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2202 दिनांक 21 / 08 / 2015 के द्वारा स्वीकृत ।

	and and a series and in transfer & .	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया उज्जैन के पत्र कमांक 921 दिनांक 19/05/2016 के द्वारा	
(यदि लागू हो)	पत्थर—14,193 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—74,000 घमीटर / वर्ष एवं एम सेंड—16,000	
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना	
	अनुसार पत्थर—74,000 घमीटर/वर्ष एवं एम सेंड—16,000 घनमीटर/वर्ष	
	है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र	
अन्य खदानें	कमांक 782 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04	
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.861 हे. होता	
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की		
अनापत्ति	कमांक 782 दिनांक 27/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की		
अनापत्ति	कमांक 782 दिनांक 27 / 03 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
OFTIMICCI	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा	
	6 ,	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ı , ,	
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 05 / 10 / 2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत	
, , , , , , ,	को कोई आपित्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	
गूगल इमेज अनुसार		
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—	
-11111111111111111111111111111111111111	पूर्व दिशा–	
	पश्चिम दिशा–	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट		
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज के सरल क्रमांक–8 पर दर्ज	
	है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड लीज आर्डर दिनांक 21/08/2015 में सिर्फ पत्थर उत्खनन की स्वीकृति का उल्लेख है जबिक परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर के साथ ही एम सेंड हेतु आवेदन किया गया है जो लीज आर्डर के अनुरूप नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक पत्थर उत्खिन के साथ एम सेंड की लीज आर्डर प्रस्तुत करें । तत्पश्चात ही प्रकरण में विचार किया जावेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 2. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 3. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 4. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. खनन क्षेत्र के आस—पास कम से कम 500 मी. त्रिज्या में ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से पर्यावरणीय घटकों की जानकारी प्रस्तुत करें।
- 6. प्रस्तावित एम—सेंड प्लांट हेतु वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की जानकारी एवं स्लरी प्रबंधन प्रस्ताव।
- 7. क्षेत्र हेत् विस्तृत क्लस्टर ईएमपी।

14. Case No 10744/2023 Ms. Sonia Khare, Lessee, Ward No. 17, Ekta Colony, Behind Gol Quarters, District-Tikamgarh (MP)-472001, Prior Environment Clearance for Badmadai Ugad Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone-5000, M-Sand-25000 cum per year) (Khasra No. 266), Village –Badmadai Ugad, Tehsil –Badagaon Dhasan Tikamgarh (MP)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सोनिया खरे के प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	SONIA KHARE, LEESSEE, WARD NO. 17, EKTA COLONY, BEHIND GOL
परियोजना / कम्पनी	QUARTER, DISTRICT- TIKAMGARH (M.P.)

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	266 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
(सरकारी / निजी)	,	
स्थल	Village –Badmadai Ugad,Tehsil –Badagaon	Dhasan, District-Tikamgarh
	(M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज् शाखा) जिला टी	किमगढ़ के पत्र क्रमांक 570
	दिनांक 10/07/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रर	न्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5,000	·
	सेंड—25,000 घनमीटर⁄वर्ष हेतु आवेदन वि	O
	खनन् योजना अनुसार पत्थर—5,000 घनमीट	र / वर्ष एवं एम सेंड—25,000
	घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	,	-
अन्य खदानें	क्रमांक 697 दिनांक 15/09/2023 अनुसार	
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्र	
वन मण्डलाधिकारी की	,	-
अनापि्ति	क्रमांक 697 दिनांक 15/09/2023 अनुसार	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन	जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	,	
अनापत्ति	क्रमांक 697 दिनांक 15/09/2023 अनुसार	500 मीटर की परिधि में नहीं
	है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम		
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 14/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्था	ल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव
	पारित ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -	
गगल ट्रमेल अनुमार	Additional tree to be planted - उत्तर दिशा—	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा–	
वरानाम स्वारा	पूर्व दिशा–	
	पश्चिम दिशा–	
——————————————————————————————————————)
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	,	
ુ પગ ૧ ୯ લાઉ	दिनांक 23 / 09 / 2023 के द्वारा सूचित कि आगामी नवीन डी.एस.आर. में शामिल कर लिय	
	सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि र	_
	सामात न चर्चा उपरात निणय लिया कि र समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश	
	त्रनावारा ।नवारण आविकारण मध्यप्रदश	पग / ४५५। बंदक । दनाक

29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेत्
सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- 1. प्रस्तावित कशर एवं एम—सेंड प्लांट हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषणरोधी उपकरण एवं स्लरी प्रबंधन योजना को लागू करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.11 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल बडमडई खास में हैन्डपम्प का निर्माण (बोरिंग कराना) एवं फर्नीचर (बीस नग बेंच एवं डेस्क)	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2520 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	नॉन माइनिंग जोन में	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल,	1000

	आम, बॉस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री गार्ड के साथ	
शास. अंकुर योजना के तहत ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	420

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

15. Case No 10746/2023 Shri Govind Yadav, Owner, (Authorized Signatory), R/o House C-55, Near Prabhat Petrol Pump, Padamanabh Nagar, Huzur, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadim Stone Mine in an area of 3.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 345P), Village-Chandbad Kadim, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri GOVIND YADAV, Owner (Authorized Signatory), House-C-55, Near
परियोजना / कम्पनी	Prabhat Petrol Pump, Padamanabh Nagar, Huzur, Bhopal, Govindpura,
का नाम व पता	Madhya Pradesh, 462023

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	345 (P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 hectare.	
स्थल	Village Chandbad Kadim, Tehsil- Berasia, Dist- Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1035	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	दिनांक 03/03/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	यह प्रकरण डिया का है परंतु परियोजना प्रस्तावक ने अन्य किसी प्रकरण	
(यदि लागू हो)	की डिया की ई.सी. अपलोड नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—6,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—6,000 घनमीटर/वर्ष	
	है।	
500 मीटर की परिधि में	,	
अन्य खदानें	कमांक 1991 दिनांक 16/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 13	
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 35.113 हे. होता	
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	,	
अनापत्ति	क्रमांक 1991 दिनांक 16/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है और अतः 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित संबंधी डीएफओ की जानकारी	
	अपलोड नहीं है ।	
तहसीलदार की		
अनापत्ति	दिनांक 03/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	
or in fixti	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, जलीय	
	निकाय/नदी/तालाब आदि नहीं है किंतु अन्य का उल्लेख नहीं है, अतः	
	ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत खादमपुर जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—12 दिनांक	
पंचायत की अनापत्ति	29 / 01 / 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को	
	कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -	
THE THE SECTION	Additional tree to be planted -	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा—	
વાનાના ત્યાલ	पूर्व दिशा–	
	पश्चिम दिशा–	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट		
की स्थिति	चूंकि प्रकरण बी–1 श्रेणी टॉर का है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ	
4/1 1/41/1	भाग अगरन या । जना धार या ए, जरा इजाइए ।रबाट पर साथ	

अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डीएसआर की प्रति अपलोड नहीं की गई है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
- 21. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 1035 दिनांक 03/03/2023 लीज आर्डर में 500 मीटर की परिधि में तहसीलदार संबंधी संपूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ तहसीलदार की एनओसी प्रस्तुत करें।

- 22. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1991 दिनांक 16 / 06 / 2023 में 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित संबंधी उल्लेखित डीएफओ की जानकारी ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 23. यह प्रकरण डिया का है परंतु परियोजना प्रस्तावक ने अन्य किसी प्रकरण की डिया की ई.सी. अपलोड कर दी गई है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 16. Case No 10745/2023 Smt. Meenu Yadav, Owner, (Authorized Signatory), C-55, Near, Padamanabh Nagar, Raisen road, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadim Stone Quarry in an area of 1.920 ha. (10806 cum per year) (Khasra No. 328, 329), Village-Chandwar, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री मीनू यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह मेसर्स एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri MEENU YADAV, Owner (Authorized Signatory), C-55, PADMNABH	
परियोजना / कम्पनी	NAGAR, RAISEN ROAD, BHOPAL (M.P.)	
का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	328, 329 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.92 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Chandbad Kadim, Tehsil- Berasia, Dist- Bhopal (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 180	
	दिनांक 20 / 01 / 2020 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 826 दिनांव	क 20/06/2017 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—10,830 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,806 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योज	ना अनुसार पत्थर—10,806
	घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला	भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र

अन्य खदानें	कमांक 1889 दिनांक 16/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 12
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.582 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1889 दिनांक 16/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	कमांक 1889 दिनांक 16/06/2023 में उल्लेखित तहसीलदार का पत्र
	अपलोड नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत चांदबढ़ कदीम जिला भोपाल के उहराव प्रस्ताव कमांक—19
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 18/05/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत
	को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा–
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—के सरल क्रमांक—33
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)

- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16/06/2023 में उल्लेखित तहसीलदार का पत्र अपलोड नहीं है, अतः तहसीलदार की अनापत्ति ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 17. Case No 10736/2023 Shri Alkesh Bakaliya, Proprietor, Himala, Rachharda, District-Dahod (GJ)-389151, Prior Environment Clearance for Bheemfaliya Crusher Stone Mine in an area of 3.40 ha. (26200 cum per year) (Khasra No. 43, 44, 45), Village-Bheemfaliya, Tehsil-Jhabua, Dist.- Jhabua (M.P.)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बकालिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ALKESH BAKALIYA, Proprietor, Himala, 389151	Rachharda Dahod Gujarat-
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43, 44, 45 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.40 hectare.

स्थल	Village- Bheemfaliya, Tehsil-Jhabua, Dist Jhabua (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 857
	दिनांक 24 / 08 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—26,200 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—26,200
	घनमीटर / वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में	` ,
अन्य खदानें	कुमांक 925 दिनांक 21 / 09 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अनापत्ति	क्रमांक 925 दिनांक 21/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अनापत्ति ।	क्रमांक 925 दिनांक 21 / 09 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनापत्ति	08/06/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	•
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	, , ,
की स्थिति	दिनांक 16/10/2023 अनुसार उक्त नवीन उत्खनिपट्टा के संबंध में
	समस्त पूर्ति होने के उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।
	जावना । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	ויוואוו וושוניו אוושאיוניו ויאאגאיין ויאווא ויאוואוון אוואווון ווואווואוויון ווואווואוויון

29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेत्
सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- प्रस्तावित क्रशर एवं एम—सेंड प्लांट हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषणरोधी उपकरण एवं स्लरी प्रबंधन योजना को लागू करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
- 2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–26,200 घनमीटर / वर्ष ।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.47 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम भीमफालिया के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा ।	1,60,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4080 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, मुनगा जंगल जलेबी, आम,अमरूद,बेल, जमुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	820
	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	140
2	भीमफालिया ग्रामवासियोंमें वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, सीताफल, मुनगा, अमरूद।	3060

	हेतु		
	शासकीय विद्यालय में	कचनार,पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	60
उपर	l क्तिनुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष मे	ं किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव	/ मृत पौधों का

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अविध तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

18. Case No 10737/2023 Shri Praveen Rathod, Lessee, Village-Pisnaval, Jhopali, District-Barwani (MP)-451666, Prior Environment Clearance for Pisnawal Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (M-Sand-4000, Stone-5000 cum per year) (Khasra No. 397), Village-Pisnaval, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण राठौर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस	तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri PRAVEEN RATHOD, Lessee, Village - Pisnaval, Barwani, jhopali, Madhya Pradesh - 451666	
का नाम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	397 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.00 hectare.	
स्थल	Village Pisnawal, Tehsil Sendhwa, District Barwani (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 1174 दिनांक 05 / 12 / 2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रर	न्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो) प्रकरण की स्थिति	डिया बड़वानी के पत्र क्रमांक 69 दिनांव पत्थर—5820 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अ डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—3,000 घनमी घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है 3	

	अनुसार पत्थर—5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड—4,000 घनमीटर/वर्ष
	市
500 मीटर की परिधि में	,
अन्य खदानें	कमांक 2194 दिनांक 01/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का
	है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 2194 दिनांक 01/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अनापत्ति	कमांक 2194 दिनांक 01/09/2023 अनुसार 340 मीटर पर आबादी एवं
	12 मीटर पर नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत पिसनावल जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव कमांक 25
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 27 / 05 / 2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत
	को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा–
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल क्रमांक—34
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)

- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms
- 19. <u>Case No 10738/2023 Shri Praveen Patel, Lessee, R/o Village-Mehatwada, Tehsil-Javar, District-Sehore (MP)-466118, rior Environment Clearance for Amlataj Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2176, 2177), Village-Amlataj, Tehsil-Hatpiplya, District-Dewas (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAVEEN PATEL, Lessee, R/o-Village- Mehatwada, Tehsil- Javar, district- Sehore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2176, 2177 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.70 hectare.	
स्थल	Village Amlataj, Tehsil Hatpipliya, District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 03/04/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 212 दिनांक 28/03/2018 के द्वारा पत्थर—6,000 घनमीटर/वर्ष हेत् पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	,	
अन्य खदानें	कुमांक 1449 दिनांक 19/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	क्रमांक 1449 दिनांक 19/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	क्रमांक 1449 दिनांक 19/07/2023 अनुसार ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर की दूरी से दूरी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमलाताज जिला देवास के उहराव प्रस्ताव दिनांक 13/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	
गूगल इमेज अनुसार		
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—	
	पूर्व दिशा—	

	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—21 के सरल क्रमांक—34
पंग स्थित	पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

20. Case No 10739/2023 Shri Dilip Arya, Lessee, R/o Hidli Bhimpur, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)-460330, Prior Environment Clearance for Adarsh Pipariya Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 43/8), Village-Adarsh Pipariya, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (M.P.) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक दिलिप आर्य एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri DILIP ARYA, Lessee, R/o- Hidli Bhimpur, Tehsil- Bhainsdehi,
परियोजना / कम्पनी	District- Betul (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	43/8 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना 1.00 hectare.
(सरकारी / निजी)	प्रस्तावक स्वयं की)
स्थल	Village-Adarsh Pipariya , Tehsil- Bhainsdehi , District- Betul (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र कमांक 959 दिनांक
	25 / 05 / 2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बैतूल के पत्र कमांक 21 दिनांक 17/05/2016 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—5700 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5700 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—5700 घनमीटर/वर्ष
	है।
500 मीटर की परिधि में	·
अन्य खदानें	कमांक 1689 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
	अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.00 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।

0 0	
वन मण्डलाधिकारी की	\ / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
अनापत्ति	कमांक 1689 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
अनापत्ति	कमांक 1689 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	ग्रामीण कच्चा रास्ता, तालाब एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की
	परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत आ. पिपरिया जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	14/04/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं हैं ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा–
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा–
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· ·
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—28 के सरल क्रमांक—67
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस खदान के साथ—साथ परियोजना प्रस्तावक की एक अन्य खदान हेतु, कृशर लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है। परीक्षण में पाया गया कि खदान क्षेत्र के बेरियर जोन में भी खनन किया जा चुका है। खदान क्षेत्र में फेन्सिंग, गारलेण्ड ड्रेन तथा वृक्षारोपण का कार्य अपूर्ण है। परियोजना प्रस्तावक की अन्य खदान जो इस खदान से लगी हुई है, में भी इसी प्रकार के पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हुये। दोनों खदानों के बीच स्थित 15 मी. की स्ट्रीप में वृक्षारोपण नहीं देखा गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :-

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:

- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms
- 21. Case No 10740/2023 Shri Arun Tiwari, Lessee, R/o Station Road, Barbatpur, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)-460440, Prior Environment Clearance for Jampani Stone Quarry in an area of 1.214 ha. (9498 cum per year) (Khasra No. 42/1, 42/3), Village-Jampani, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परिवार्शना विवरण परिवार्शना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावक	परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
---	----------------	---

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ARUN TIWARI, Lessee, R/o-Station Road Barbatpur, Tehsil-Shahpur, District- Betul (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	42/1, 42/3 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 1.214 hectare. भू—स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)
स्थल	Village Jampani, Tehsil Shahpur, District Betul (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1761 दिनांक 24 / 11 / 2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 68 दिनांक 05—09/10—2016 के द्वारा पत्थर—9500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—9498 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—9498 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अन्य खदानें	कमांक 1700 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापि्तत	क्रमांक 1700 दिनांक 12 / 10 / 2023 अनुसार 05 कि.मी. की दूरी पर जैव विविधता क्षेत्र है और 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोनएवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 1700 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता एवं नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की
	परिधि में नहीं है । 500 मीटर की परिधि में पश्चिम दिशा में एक पूर्व में
	नीलाम खदान का एक गढ्ढा है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत शाहपुर जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव कमांक–6 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	04/02/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
मान सोन अस्म	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा—
MULLI KAIKI	पापा । परा।

		पूर्व दिशा–
		पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिप	गोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति		अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—26 के सरल क्रमांक—57
		पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.

- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms
- 22. Case No 9913/2023 Mr. T. Sathianadhan, Head Manufacturing LR & PC, Product Factory Manager, Plot No. 158 & 158A, Sector-3, Pithampur, Dhar (MP)-454775, Prior Environment Clearance for regularization of existing production facilities for Steel wires of capacity 180000 TPA located at 158, 158A, Sector-A, Pithampur, Tehsil & District-Dhar, (M.P.) (EIA Presentation)

PP was called upon for presenting and discussing the EIA and EMP report for the proposed project. Neither the PP nor their representative/consultant appeared physically or through on-line VC, hence case could not be appraised. Committee decided to take up the matter in coming meetings.

23. <u>Case No 10568/2023 Shri Kapil Patidar, Owner, R/o Village-Borlay, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP)-451551, Prior Environment Clearance for Borlay Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.99 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 390/7), Village-Borlay, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP)</u>

PP was called upon for presenting and discussing the EIA and EMP report for the proposed project. Neither the PP nor their representative/consultant appeared physically or through on-line VC, hence case could not be appraised. Committee decided to take up the matter in coming meetings.

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व 690वीं बैठक दिनांक 17/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार अनुपस्थित रहे ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री कपिल पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ. विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स जियोग्रीन इंवायरो हाऊस प्रा.लि., लखनऊ उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
	Shri KAPIL PATIDAR, Owner, Village- Borlay, Tehsil-Barwani, District- Barwani (M.P.)

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	390/7 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.99 hectare.
स्थल	Village Borlay, Tehsil-Barwani, District- Barwani (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 1414
الماع الماع	दिनांक 14/10/20 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बड़वानी के पत्र कमांक 10 दिनांक 15/05/17 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—33.33 घनमीटर / दिन हेतु आवेदन किया
०(वापन पानसा	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–10,000
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	
अन्य खदानें	कमांक 931 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य
जन्म अपान	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.99 हे. होता है,
	अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	
अनापत्ति	कमांक 931 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
जनायारा	निशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	कमांक 931 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
O'HAKKI	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/
	ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनापत्ति	14/04/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
230 81 131 11 13 2131	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा—

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—46 के सरल क्रमांक—11
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. चूंकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9- Surface run-off plan shall be prepared and submitted with EMP.

24. <u>Case No 10570/2023 Shri Vinod Agrawal, Owner, R/o Narmada Ji Ward, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Madai Raiyat Stone Quarry in an area of 2.80 ha. (14844 cum per year) (Khasra No. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4), Village-Marai, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)</u>

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व 690वीं बैठक दिनांक 17/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार अनुपस्थित रहे ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/12/23 . को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री Vinod Agrawal .मेसस एम्बिएंटल ग्लोबल प्रा.लि., गालियाबाद (उ. प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VINOD AGRAWAL, Owner, Narmada Ji Ward, Tehsil-Mandla, District-Mandla (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	62/1, 62/2, 62/3, 62/4, (निजी—नॉन 2.80 hectare. फॉरेस्ट लेंड भू—स्वामी की सहमति पत्र नहीं है)
स्थल	Village- Madai Raiyat, Tehsil- Mandla, Dist-Mandla (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 48 दिनांक 08 / 01 / 19 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 884 दिनांक 09/07/18 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—15,002 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—14,844 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—14,844 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	,
अन्य खदानें	कमांक 1255 दिनांक 26/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	,
अनापत्ति	कमांक 1255 दिनांक 26/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	,
अनापत्ति	कमांक 1255 दिनांक 26/07/23 अनुसार 500 मीट्र की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	·
पंचायत की अनापत्ति	गया है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा–
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा–
	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—45 के सरल क्रमांक—60
	पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पिश्चम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सिहत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 2. आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा जो पिट दिख रहा है वह 2014 से है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. चूंकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा का ठहराप प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है, अतः ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 10. चूँिक प्रस्तावित खेत्र निजी है, अतः परियोजना प्रस्तावक को उत्खनन् कार्य हेतु भू—स्वामी की सहमति पत्र ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

25. Case No 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)

प्रकरण आज सेक की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Surendra Jain, Lessee** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई. तनवीर मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA].
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—1128, एरिया— 2.00 ha., निजि भूमि,
परियोजना स्थल	ग्राम— मिसीगांव, तहसील – चितरंगी, जिला— सिंगरौली, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. दिनांक 25/09/2015.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Short Hole Blasting (As per Parivesh Portal).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Singrauli EC issued vide letter No. 105 dated 24/05/2016.
उत्पादन क्षमता	स्टोन — 18,628 घन मी / वर्ष।
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र
मीटर की परिधि में	क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01

संचालित /स्वीकृत	अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है,
अन्य खदानों का	अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	,
राजस्व जानकारी	क्रमांक 2385 दिनांक 30 / 06 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत / नगर निगम	दिनांक 16 / 08 / 2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
की अनुमति	
प्रस्तावित स्थल पर	Tree Felling -
वृक्षों की वर्तमान	Additional tree to be planted -
रिथति	
प्रस्तावित खदान की	उत्तर दिशा– .
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण दिशा—
स्थिति (यदि सेटबैक	पूर्व दिशा–
आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण
की स्थिति	रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल क्रमांक — 43 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में कार्य करते हुए डिया ई.सी. में जारी शर्तों का पूर्ण रूप से सम्पादन नहीं किया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:

- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
 - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 26. Case No 9641/2023 Shri Vijay Pratap Singh Kushwah S/o Satendra Pratap Singh Kushwah, Partner, M/s Gwalior Stone Industries, 201, Millenium Plaza, Govindpuri, Govindpuru University Road, (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Khedaviran Quartz and Silica Sand Mine in an area of 05.360 ha. (100000 Cum per annum) (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

प्रकरण आज सेक की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने एक और अवसर देते हुए पुनः समीक्षा हेतु प्रकरण आज बैठक दिनांक 19/12/2023 में रखा। प्रकरण खिनज उत्खनन का है, जिसमें क्वार्टस एंव सिलिका सेंड (कुल 1,00,000 घनमीटर/वर्ष) का उत्खनन कुल खनन क्षेत्र 5.360 हेक्टेयर से किये जाने का प्रस्ताव है। प्रकरण को सेक की बैठक क्रमांक 624 दिनांक 26/02/2023 के माध्यम से टॉर जारी किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं ई.एम.पी. की समीक्षा समिति द्वारा की गई। परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :—

प्रस्तुतीकरण के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.एम.पी. का मान्य करते हुए निम्न विशेष शर्तों के साथ प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति दी जाने की अनुशंसा की जाती है।

- 1. पर्यावरण दृष्टि से खनन क्षेत्र के बायें ओर का क्षेत्र, जो कि घाटी के रूप में है, को छोड़कर खनन कार्य किया जावें। उपरोक्त अनुसार क्षेत्र छोड़ने के पश्चात् लगभग 3.5 हेक्टेयर भूमि खनन हेतु उपलब्ध रहेगी, जिससे प्रस्तावित मात्रा में खनिज का खनन किया जा सकेगा।
- 27. Case No 9271/2022 Shri Vedanand Roy, Director, M/s PACIFIC MINERALS PRIVATE LTD, Baihar Road, Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Managanese Mine in an area of 10.0 ha. (Managanese 10559.8 Tonne per annum, Sub Grade 586.655 Tonne per annum, Mineral Reject 586.655 Tonne per annum) (Khasra No. Compartment No. P.O 127) Village Laugher, Tehsil Baihar, Dist. Balaghat, MP-EIA.

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व 695वीं बैठक दिनांक 23 / 11 / 23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार अनुपस्थित रहे ।

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 19/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vedanand Roy एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज				
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Vedanand Roy, Director, M/s PACIFIC MINERALS PRIVATE LTD, Baihar Road, Balaghat (M.P.)				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Compartment No. PO 127 (सरकारी —नॉन 10.00 hectare. फॉरेस्ट लेंड)				
स्थल	Village Laugher, tehsil Baihar, Dist. Balaghat (MP).				
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 970 दिनांक 31 / 07 / 15 के द्वारा स्वीकृत ।				
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1				
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।				
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 1825 दिनांक 18/10/22 के द्व मैग्नीज				

	ओर—10,559.8 टीपीए, सब ग्रेंड मिनरल—586.655 टीपीए एवं माइन रिलेक्ट— 586.655 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई				
	है।				
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज ओर—10,559.8 टीपीए, सब ग्रेड				
	मिनरल—586.655 टीपीए एवं माइन रिलेक्ट— 586.655 टीपीए हेतु आवेदन				
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैग्नीज ओर—10,559.8				
	टीपीए, सब ग्रेड मिनरल—586.655 टीपीए एवं माइन रिलेक्ट— 586.655 टीपीए है।				
500 मीटर की परिधि में	-				
अन्य खदानें	क्रमांक ८४० दिनांक 24 / 06 / 22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य				
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।				
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र				
अनापत्ति	क्रमांक ८४० दिनांक २४/०६/२२ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में				
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं				
	स्वीकृत क्षेत्र वनभूमि व्यपवर्तित वन क्षेत्र है ।				
तहसीलदार की	,				
अनापि्ति	क्रमांक ८४० दिनांक २४/०६/२२ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव				
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के				
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/				
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा				
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप				
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।				
ग्राम सभा/ ग्राम					
पंचायत की अनापत्ति	दिनांक 07 / 12 / 16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत				
<i>y</i> 0 0 0	को कोई आपत्ति नहीं है ।				
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -				
गूगल इमेज अनुसार					
वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—				
	पूर्व दिशा–				
	पश्चिम दिशा—				
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट					
की स्थिति	की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक है ।				
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक को संपन्न				

.....आपित्तयाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

क्वेरी — परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड माइन प्लांन वर्ष 2023 तक है, आगे की अवधि का अनुमोदित माइन प्लांन परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौर प्राप्त किया जाना होगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर–10,559.8 टीपीए, सब ग्रेड मिनरल–586.655 टीपीए एवं माइन रिलेक्ट– 586.655 टीपीए ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 16.17 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 10.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Fund for wild life habitat development and staff welfare Kahna Tiger Reserve Balaghat (MP)	Rs 10 .00

28. Case No 10679/2023 The Collector, District Administration, Village-Mehra, Gwalior, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of New Township Thatipur (CLP-1) Gwalior under Redensification in an area of 5.12 ha. (101907.6 sq.m.) (Khasra No. 120, 172/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 205/1), Village-Mehra, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [447087] Total Plot Area – 51200 Sq.Mt., Total Built up Area - 101907.6 Sq.m. Cat. 8(a)Building Construction Projects.B2.

प्रकरण आज सेक की 697वीं बैठक दिनांक 23/11/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

SN	Information Required	Details
----	----------------------	---------

1.	Project	SIA/MP/INFRA2/447087/2023	
2.	Project Name	The Collector, District Administration, Village-Mehra, Gwalior,	
		District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of New Township Thatipur (CLP-1)	
		Gwalior under Redensification in an area of 5.12 ha. (101907.6)	
		sq.m.) (Khasra No. 120, 172/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,	
		180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 189/1, 205/1),	
		Village-Mehra, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [447087] Total	
		Plot Area – 51200 Sq.Mt., Total Built up Area - 101907.6 Sq.m.	
		Cat. 8(a)Building Construction Projects.	
3.	Description of Project	Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board	
		Circle- Gwalior is proposing a New Township Thatipur (CLP-1)	
		Gwalior under Redensification Scheme of GoMP at Survey No.	
		120,172/1,173,174,175,176,177,178,179,180, 181, 182, 183, 184,	
		185, 186, 187, 188/1, 189/1, 205/1, Village Mehra, Tehsil City	
		Center and District Gwalior. The built-up area of the proposed	
4.	Area details as per	project is 101907.6 m2. Total Plot Area: 51200 m2	
4.	Form -1	Total Built up Area – 101907.6 m2	
	101111	Area under Road widening – 1060 m2	
		Net Panning Area – 50140 m2	
		Greenbelt area – 14989 m2	
		Open Parking –185 Nos.	
		Stilt Parking- 401 Nos.	
		Basement Parking- 489 Nos.	
5.	Project Proposal	New.	
6.	Project Cost	32586 Lakhs.	
7.	Land Allotment Order	Letter No. 1370 Dated 18/02/2021.	
8.	Lat./Log. As per Form -1	A 26°12'48.91"N 78°12'10.61"E	
		B 26°12'49.68"N 78°12'19.96"E	
		C 26°12'43.53"N 78°12'20.44"E	
	Dauldus Assa	D 26°12'42.87"N 78°12'10.97"E	
9.	Parking Area.	600 ECS	
10.	T& CP Permission	LP210702045952739372/6095 date 21/SEP/2021.	
11.	Water NOC	Letter No. 2598 dated 22/07/2021.	
12.	High Rise Permission	Letter No. 1291 dated 21/06/2021.	
13.	Extra Treated Sewage NOC	Letter No. 2592 dated 22/07/2021.	
14.	MSW NOC	Letter No. 2595 dated 22/07/2021.	
15.	DG set details	16x30 KVA,62.5x1 KVA,100x1 KVA.	
16.	Env. Consultant	M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.).	

After delebrations the PP was asked to submit information with supporting documents on the following points:

- 2. Submit the inventory of the translocated trees with geo-tagged photographs.
- 3. Details of Construction & Demolition Waste with pointwise compliance of C&D Waste Rules 2016.
- 4. Carbon foot-print report to be signed & certified by the assessor.
- 5. Impact of tree felling on the habitation of birds along with the proposal for rehabilitation plant for the birds.
- 6. Revised CER as per the latest MoEF Circular.
- 29. Case No 9808/2023 M.P. Water resources Department, O/o Engineer-in-Chief, Jal sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 164845 ha instead of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] initially planned for an area of **129903 ha.** and later the CCA is proposed to be enhanced to **164845 Ha** at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, (Online) Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri L.S. Jadoun, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP). Initial ToR was recommended in the SEAC 638th Meeting dated 18th April 2023 the same was amended & issued on 26-10-2023.

Now WRD proposes to enhance the Culturable Command Area of the project from 129903 Ha to 164845 Ha, it was submitted by the PP that no change in any of the other attributes of the project is proposed. Accordingly, the case was re-submitted to SEIAA for second amendment in the TOR.

Based on the submissions and the observations committee decided to recommend the case for issue of amended TOR for the project with inclusion of following additional TOR:

- 1. Socio-environmental Impacts shall be evaluated in the entire CCA of 164845 Ha. and presented in the EMP.
- 2. Details of land-acquisition if any shall be presented with applicable plans.

Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in SEAC 638th Meeting dated 06th April 2023.

30. Case No 9834/2023 Shri Somesh Pranjal, Project Director, National Highways Authority Of India Indore, 15 Sampat Hills, Opp. Sahara City, Indore Bypass, Indore (MP)-452016, Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park in an area of 103.26 ha. at Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Multi Model Logistics Park Mine in an area of 103.26 ha. at Khasra No. Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP) Cat.- 8(b) Township and Area Development Projects.

The EIA was presented by the PP and their consultants in the SEAC meeting 692th meeting dated 19.10.2023. After presentation the committee asked PP to submit response to the queries raised by the committee. PP has submitted and presented the point wise response to the same which is summarized as follows:

SN	Query	Response
1.	Submit present status of land with respect	Mutation completed
	to – compliance of the provisions of Land	
	Acquisition Act- 2013, status of mutation	
	etc.	
2.	Specify the in-house green area	Submitted and found satisfactory.
	development (upto 15% of the total plot	
	area) including tree plantation, lawns and	
	land-scaping, Miyawaki forest, etc All	
	features to be depicted on coloured lay-out	
	map. The plantation scheme may be	
	executed through Samajik Vaniki	
	Department, Indore.	
3.	Furnish details of CO ₂ emission &	Submitted and presented.

	, 'C' , ' C 1' CC , 1	
	quantification from different sources and	
	their management plan w.r.t. carbon foot	
	print.	
4.	Bio- fertilizer shall be used instead of chemical fertilizer during plantation written commitment to be furnished.	PP agreed and submitted the commitment.
5.	Year-wise revised the CER scheme as suggested by the committee, the proposal should include	Revised CER has been submitted and accepted by the Committee.
	• Infrastructure development in terms of	
	distribution of medical equipments,	
	Ambulance in the Tribal villages of the	
	Dhar region through PHC with physical	
	target and time frame.	
	• Proposal to be submitted for water	
	availability for Wild-life in the nearby	
	sanctuaries in coordination with the	
	concerned authorities.	
	• River protection for the Bagh River near	
	Bagh caves etc.	
	• Feasability of Bio-toilets proposal to be submitted	

Based on the submissions and observations the committee decided to recommend the case for grant of Prior EC subject to the following special conditions:

- 1. The prior EC is valid for Construction of Multi Model Logistics Park in an area of 103.26 ha. in Village-Kheda, Jamodi & Akolia, Tehsil-Pithampur, District-Dhar, (MP).
- 2. Following CER of Rs 13.5 Cr shall be executed:

	Yea		Budget in Lal	khs							
SI. No.	Description		tion Period					on Period			40
5i. No.	Description Health Care and Infrastructure	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-			1	ı							
	Health check-up camps; awareness programme for Forest villages and other remote areas of Dhardistrict in consultation with PHC, CMO and DFO Dhar.										
i.	areas of Dilardistrict in consultation with Phc, Civio and DPO Dilar.	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23
ii.	Ambulance for PHC (First Year, 8th Year and 15th Year)	20	-	-	-		-	-	-	-	31
2	Education										
i.	Infrastructure and sports facility development in Primary schools in Consultationwith village Panchayats/SDM/District Authority	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23
3	Infrastructure Development								Į.		
i.	Veterinary Health Centres in the project affected villages in Consultation with I/C Veterinary Dept. Dhar – Infrastrucutre only.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Skill Development and Training Centre (MMLP)										
i.	Skill development Centre and camps for Women empowerment by way of training in Kitchen Garden, sewing (tailoring) and Youth Skills with local subsidiged Fee through ITI, Dhar for the development of Other Skills which suits to Pithampur Area and could be employed nearby Area	50	50	50	50	25	26	29	32	35	38
5	Environment Enhancement			l					I		
i.	Rejuvenating Bhag river near Bhag Caves in DHAR District in consultation with Veterinary and Forest Dept. amount be given to the Concern Dept.	50	25	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Forest Dept. for Ralamandal Wildlife Sanctuary, Indore	50	25								
iii.	Providing water facility for wildlife in consultation with State Forest Dept./DFO (Wildlife). In Dhar District through Forest Department.	15	10	-	-	-	-	-	-	-	-
iv	Development of Eco-Park (Common falisiility for all Near by MMLP) for all near by residents	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
v	Anganbadi in consultation with Mahila Bal Vikash Kendra	60	-	-	-	25	-	-	-	-	-
vi	Divyang Kendra Dhar through (Social Justice & Disability Welfare Department)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vii	Registered Goshalaye, Prakriti Vatsalya Pashu Seva Sansthan Samiti (Goshala& Bakri Kendra S. No. 1 & 2) Gram Jaitpura in Dhar district Registration No. 03/28/01/23564/21 and Madhya Pradesh Gau Palan and Pashu Samvardhan Board Bhopal Registation No. 2383.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii	Butterfly Survey in Mandu and Adjoining area (1) Type of Butterfly and their diversity (2) Potential habitation (3) Conservation Plan through Forest Dept./DFO Dhar	10	-	_	-	-	_	-	_	-	_
ix	Bird Suvery in Pithampur and nearby area (1) Type of Butterfly and their diversity (2) Potential habitation (3) Conservation Plan through Forest Dept./DFO Indore	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		436	257	83	85	86	65	69	74	79	116

Note:- Fund transfer to concerned Government Department.

- Note: 1. The Butterfly and Bird Survey is to be carrid out with the support of Experts Bird and Butterfly lovers and they will submit the report to the NHLML and SEAC
 - 2. The CER amount is worked out for 10 Years. However, with the consulttaion of District Adminstation the same can be extended upto 15 Years on Prorata basis.
 - 3. Amount to be transferred in consulation with the concern department/instituation as scheduled in time framework.

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.

- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - I. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.

- iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्चित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety

- signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.

- m. Lease owner's Name, Contact details etc.
- n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
- p. Minable Potential of sand mine.
- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP

- and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :-

- नोट 1:- स्थल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्यंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :- भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्

1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		ļ

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पित्तयाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

		•
1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति
	बीजअगेव आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
		1
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
		पौधों की दूरों 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षित नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम उतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।